न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/205/2012 वाद — दायर दिनांक 30.07.2012

उनवान

1. हफीज खॉ मुतबन्ना मांगू खॉ मुसलमान (पठान) आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

1. मु0 जमीला पुत्री मॉगू खॉ पत्नी हवलूखॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी महाराज की नेतावल तहसील चित्तौडगढ।
2. मु0 शकीना बेगम बेवा बशीर खॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी।
3. लालखॉ पिता बशीर खॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी।
4. जमीलखॉ पिता बशीर खॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी।
5. अहसानखॉ पिता बशीर खॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी।
6. मु0 मुमताज बेगम पुत्री बशीर खॉ पत्नी मेहराबखॉ मुसलमान निवासी रामथली तह0 कपासन।
7. मु0 नूरी बेगम पुत्री बशीर खॉ पत्नी मेहताबखॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी रामथली।
8. मु0 रूकैय्या बेगम पुत्री बशीर खॉ पत्नी उमरावखॉ मुसलमान निवासी रामथली।
9. मु0 सिराजबेगम पुत्री बशीर खॉ पत्नी फकरू खॉ मुसलमान निवासी रामथली।
10. मु0 रईसाबेगम पुत्री बशीर खॉ पत्नी बशीरखॉ मुसलमान निवासी शिवदानपुरा तहसील भदेसर।
11. मु0 मेहरूनबेगम पुत्री बशीर खॉ पत्नी मुश्ताकखॉ मुसलमान निवासी शिवदानपुरा तहसील भदेसर।
12. शेरखॉ पिता नूरखॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
13. मुश्ताक खॉ पिता नूरखॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
14. हकीम खॉ पिता नूरखॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
15. खाजू खॉ पिता नूरखॉ मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
16. मु0 तमन्ना बेगम पुत्री नूरखॉ पत्नी अलाबक्ष मुसलमान निवासी ऊंचा तहसील राशमी।
17. गनीखॉ पिता न्याजमोहम्मद पठान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
18. शाबीरखॉ पिता न्याजमोहम्मद पठान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
19. सदीकखॉ पिता न्याजमोहम्मद पठान आयु व[illegible]सी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
20. मु0 जुबेदा पुत्री न्याजमोहम्मद पत्नी [illegible] मुसलमान निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
21. मु0 जेबून उर्फ जेतून पुत्री न्याजमोहम्मद पत्नी [illegible]दारखॉ मुसलमान निवा[illegible]चा तहसील राशमी।
22. मु0 बतूल बेवा न्याजमोहम्मद मुसलमान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23. नूरखॉ पिता भूरेखॉ पठान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
24. बरकतखॉ पिता रहमत खॉ पठान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
25. मु0 बानू बेवा रहमतखॉ पठान आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन।
26. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11(क, द्य) एवं धारा 11 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः 28.09.2021

–:निर्णयः–

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क, द्य) एवं धारा 11 सी.पी. सी का दिनांक 13.03.2020 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी हफीजखॉ द्वारा न्यायालय आप में प्रस्तुत दिनांक 16.07.2012 को उक्त उनवान का प्रकरण विधि विरूद्ध, विधि द्वारा वर्जित होने से पोषणीय नहीं है, चलने योग्य ही नहीं है। यह की वादी द्वारा वर्णित दिनांक 05.07.2012 को कोई वाद हेतुक पैदा नही हुआ है वाद हेतुक कारण दिनांक 08.08.2008 को ही पैदा हो चुका था जिस पर वादी हाफीज ने न्यायालय आप व उसके पश्चात न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर व उसके पश्चात न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में कार्यवाही करवा चुका है।

यह की वादी हाफिज ने इसी पक्षकार जमीला के विरूद्ध वाद वर्णित तथ्यों को लेकर एक प्रकरण न्यायालय आप में दर्ज करवाया जिसके प्रकरण संख्या 148/2008 होकर न्यायालय आप होकर बाद सुनवाई दिनांक 10/01/2011 को खारिज कर दिया। यह कि जमीला के पिता मांगु खॉ की विरासत जमीला के नाम पर हो जाने पर वादी हाफिज ने जमीला के विरूद्ध वाद वर्णित तथ्यों को उठाते हुए न्यायालय आप में ही प्रकरण दर्ज करवाया जिसके नम्बर 14/2008 दर्ज हुए और न्यायालय द्वारा सुनवाई कर मुस्लिम समुदाय में गोद का प्रावधान नहीं होने से दिनांक 10/01/2011 को खारिज किया गया। जिससे व्यतित हो वादी हाफिज ने संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर न्यायालय में इसी पक्षकार जमीला के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जिसके [illegible]/2011 होकर न्यायालय ने सुनवाई कर मुस्लिम विधि में गोद का प्रावधान नहीं होने से दिनांक 19/4/2012 को खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब कपासन का आदेश यथावत रखा।

यह कि प्रार्थीया जमीला ने मांगू खां अपने पिता की अकेली वारिस होने से नाम पर कराने के लिये माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के नाम यहां पर अपील की जिस पर न्यायालय ने हाफिज के नाम पर निर्मित ईन्तकाल सं0 143 निरस्त कर श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एस.डी.ओ. साहब कपासन का आदेश दिनांक 04/06/2008 को भी निरस्त करते हुए मांगू खां की अकेली वारिस प्रार्थीया जमीला के नाम कार्यवाही करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध वादी हाफिज ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जिसके नं. 11873/2008 दर्ज हुए जिसमें भी वाद वर्णित तथ्य उढाये गये कि वह गोद पुत्र है न्यायालय ने सुनवाई कर प्रकरण को ही दिनांक 28/11/2013 को निरस्त कर तहसीलदार सा0 कपासन को प्रेषित कर दिया जो विचाराधीन है।

यह कि वादी हाफिज ने निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित रहने के दरम्यान ही वाद हेतुक कारण दिनांक 05/07/2012 को पैदा होना बताकर न्यायालय आपमें दिनांक 16/07/2012 को उक्त वाद पेशकर दिया। वादी को उल्लेखित दिनांक 05/07/2012 को कोई वाद हेतुक पैदा नही हुआ है वादी हाफिज दिनांक 08/08/2008 से ही वाद वर्णित इन्हीं तथ्यों को लेकर न्यायालय आप, न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर, व न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में कानूनी कार्यवाही कर रहा है इस कारण वाद चलने योग्य ही नहीं है।

यह कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार प्रकरण तहसीलदार सा0 कपासन के यहां पर विचाराधीन होने से पश्चात्यात्वर्तीनीया वाद पोषणीय नहीं है चलने योग्य नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि न्यायालय आप व न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर में वादी ने वाद वर्णित तथ्य गोद पुत्र के हक के अधीन उठाये गये विवधीक तथ्य न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिये गये है उन्हीं तथ्यों को उठाकर फिर से नया पश्चात्यात्वर्ती वाद कार्यवाही पोषणीय नहीं है वाद चलने योग्य ही नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी नं0 1 की ओर से दिनांक 13.03.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा दिनांक 19.02.2021 को प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1, स्वीकार नहीं, वाद विधिसम्मत होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज किया गया है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2, स्वीकार [illegible] पत्र की कॉलम संख्या 7 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के [illegible] में दखलन्दाजी करने की धमकी दी अतः वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4–5 सभांगीय आयुक्त के यहां प्रकरण पेश करना स्वीकार है तथा प्रकरण की निगरानी राजस्व मण्डल, अजमेर के यहां पेश करना स्वीकार हैं मगर राजस्व मण्डल ने प्रकरण को ही निरस्त कर देने का अंकन गलत है बल्कि उक्त न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

ने वादी के गोद रखने के बिन्दू पर साक्ष्य व सुनवाई नये–सर लेकर पुनः निर्णय करने के निर्देश के साथ तहसीलदार सा0 कपासन को प्रतिप्रेषित किया था तथा उक्त प्रकरण तहसील में विचाराधीन था और वादी ने घोषणा व निषेधाज्ञा का उक्त वादपत्र प्रस्तुत इस न्यायालय में कर दिया था अतः नियमित वाद के पेन्डिंग रहते ईन्तकाल की कार्यवाही पृथक से चलाना न्यायोचित नहीं होने से तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 2/2018 (नामान्तरकरण प्रा0पत्र) को दिनांक 06/07/2018 को इस मूलवाद के निर्णय तक स्थगित करने के आदेश दिये थे।

प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 अस्वीकार है गोद के बिन्दू पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है व उक्त प्रश्न विचाराधीन हैं तथा नियमित वाद में ही इसका निस्तारण किया जा सकता है अतः यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7 अस्वीकार है तहसील का प्रकरण दिनांक 06/07/2018 को ही पूर्वानुसार निर्णित कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 8 अस्वीकार है गोद का बिन्दू अनिर्णित हैं और इस बिन्दू के निर्णय के लिये ही यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क, द्य) एवं धारा 11 सी.पी.सी पर बहस सुनी। दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया कि हाफिज खॉ ने उक्त न्यायालय में वर्ष 2012 में वाद पत्र पेश किया। उक्त समय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन थी। वर्तमान में खाता संख्या 116 व 107 में वादी खातेदारी है जो वादपत्र में चाही गयी दाद प्राप्त कर चुका है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी 11873/2008 निर्णय दिनांक 28/11/2013 अनुसार तहसीलदार कपासन को वाद वर्णित तथ्य उठाये गये कि वह गोद पुत्र है पर उचित सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु आदेश प्राप्त है। जिससे प्रकरण विचाराधीन है। एक ही बिन्दु पर दो न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाहियां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 [illegible] स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है, इस बाबत् न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट के प्रथम बार वाद पत्र प्रस्तुत किया है, उक्त के संबंध में दलील प्रस्तुत की कि **माननीय उच्च न्यायालय के जेठू सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य के S.B. Civil Writ Pet. Nos. 1033 to 1336 of 2001; decided on 21st Jan., 2003.** राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–नामान्तरकरण

कार्यवाहियॉ–राजस्व (कर) सम्बन्धित प्रविष्टियॉ जैसे कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती हैं, सम्पत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाहियों में निश्यच किया जा सकता है और पक्षकारों को स्वामित्व स्थापित करने के लिऐ उचित संस्थान में जाना होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा 43/2006 अपील जमीला बनाम हाफिज खॉ, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की गयी। उक्त की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर में की गई जिसके प्रकरण संख्या 93/2008 निर्णय दिनांक 20.11.2008 में उक्त न्यायालय के निर्णय व नामान्तरकरण संख्या 143 ग्राम कोदियाखेडी को अपास्त किया गया व अकेली अप्रार्थीया जमीला के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार इन्तकाल संख्या 173 दिनांक 05.06.2008 ग्राम पंचायत लांगच के विरूद्ध हाफिज खां बनाम जमीला मिसल संख्या 14/2008 निर्णय दिनांक 10.01.2011 को अपीलाण्ट की अपील खारिज की गई। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में की गई जिसके प्रकरण संख्या 73/2011 होकर दिनांक 19.04.2012 को खारिज हुई। उक्त की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या निग/एलआर/11873/2008/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 08.10.2013 से इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया कि हाफिज खां को गोद लिया गया है अथवा नहीं, जांच कर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर गोद के संबंध में जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही कर पुनः निर्णय पारित करे।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् यह सिद्ध होता है कि गोद के संबंध में नामान्तरकरण की दो अपीलें हुई है। जिनकी अन्तिम अपील निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या निग/एलआर/11873/ 2008/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 08.10. 2013 से इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया कि हाफिज खां को गोद लिया गया है अथवा नहीं, जांच कर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर गोद के संबंध में जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही बाबत तहसीलदार कपासन पुनः निर्णय पारित करे। उक्त वाद पत्र के बिन्दु पूर्व अपीलो में उक्त न्यायालय में सुने जा चुके है जिसे पुनः सुना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, साथ ही वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस यह अवगत कराया गया है कि वादी द्वारा चाही गयी दाद में वर्तमान में वादी उक्त आराजीयात का खातेदार है, चाही गयी दाद वादी को प्राप्त हो चुकी वाद पत्र चलने योग्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क, द्य) एवं धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested